न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. CCMS-2024/969 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज माया देवी / कैलाश चन्द वगै०	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04/09/2025

वकलाय उभय बहस हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया जाकर वास्ते बहस मिसल दिनांक 24/9/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

24/09/25

वकलाय उभय प्रार्थनापत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण पर बहस वकलाय उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 07/10/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

07/10/2025

~~[illegible]~~ वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकलाय उभय प्रार्थनापत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण पर बहस वकलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकलाय उभयपक्ष ने अपने-अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक नजीरें पेश की।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, पेशशुदा दस्तावेजात एवम न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:38 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व ता... जो इ... तामील
	तथा बहस वकलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया जिससे अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। व विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस

मुकदमा न. 09 / 2024

1. माया देवी स्त्री रामचन्द्र मीणा पुत्री मूली देवी पुत्री अर्जुन जाति मीणा निवासी गांवड़ी हाल निवासी पुराना घाट नाहर सिंह बाबा मन्दिर के नीचे, आगरा रोड़, वार्ड नं. 34, जयपुर राज.।

–अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 07 गांवड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1131 दिनांक 31.05.1989 ग्राम पंचायत गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.

उपस्थित **प्रार्थी की ओर से:– श्री विमल मोदी एडवोकेट**
अप्रार्थी की ओर से:– श्री मनीराम जाखड़ एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः– 07.10.2025

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम पंचायत गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. द्वारा नामांतरकरण संख्या 1131 दिनांक 31.05.1989 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किये गये। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। विवादित भूमि का पूर्व में खातेदार अर्जुन पुत्र बींजा कौम मीणा निवासी गांवड़ी था। जिसकी दो लड़कियां मूली व बिदामी थी। अर्जुन के कोई पुत्र संतान नहीं थी। रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने को अर्जुन मीणा का पुत्र बताकर उक्त जमीन का खाता अपने नाम खुलवा लिया। अर्जुन मीणा की दो पुत्रियों में बिदामी पुत्री नाऔलाद फौत हो गयी एवं मूली देवी के एक पुत्री माया देवी हैं। जो अपीलान्ट हैं। रेस्पोडेन्ट के वास्तविक पिता का नाम नारायण मीणा पुत्र जोधा हैं एवं उसने गलत रूप से स्वयं को अर्जुन का पुत्र बताकर ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके मुगालते में रखकर सही विरासत की जगह गलत विरासत बताकर नामान्तरकरण संख्या 1131 भरवा लिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पुरूष की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामान वारिस जो जिन्दा होते हैं उन्हे खातेदार अधिकार प्राप्त होते हैं। अपीलान्ट अपने जन्म के दिन से हिन्दू उत्तराधिकार अधि. लागू होने से अपने पिता की सम्पति में समान अधिकार व हित रखती हैं। अपीलान्ट शुरू से अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त हैं। इससे अपीलान्ट को खातेदारी की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट को खाते की जानकारी होते ही दिनांक 01.04.2024 को नामान्तरकरण व जमाबन्दी की नकल निकलवायी। इसलिये यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अतः अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 1131 ग्राम पंचायत गणेश्वर दिनांक 31.05.1989 स्वीकार कर विवादित नामान्तरकरण खारिज फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट की बहस के पश्चात्तर वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के अभिकथनो को अस्वीकृत करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय के लगभग 35 वर्ष के पश्चात अपील पेश की गई हैं जो कि मियाद बाहर हैं। क्योंकि विधिक प्रावधानो के अनुसार जब तक मियाद के बिन्दु को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार नही कर ली जाती हैं तब तक अपील अपूर्ण व

अपोषणीय होती हैं। अपने तर्क के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय निगरानी आई.डी. संख्या 3268 निर्णय दिनांक 13.06.2012 की प्रति पेश की हैं। रेस्पोडेन्ट की जन्मतिथि 04.01.1961 हैं। रेस्पोडेन्ट प्रारम्भ से ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का विद्यार्थी रहा हैं। रेस्पोडेन्ट को बाल्यकाल से ही अपने नैसर्गिक पिता नारायण व माता भूरी देवी से रेस्पोडेन्ट के गोद गृहिता पिता अर्जुन पुत्र बींजाराम व उनकी पत्नी कोयली देवी के द्वारा गोद ले लिया गया तथा दत्तक ग्रहण कर पालन पोषण किया गया था। रेस्पोडेन्ट के गोद ग्रहिता पिता अर्जुन व प्राकृतिक पिता नारायण के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांवड़ी के समक्ष दिनांक 10.12.1974 को रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम नारायण के स्थान पर अर्जुन अंकित किये जाने के लिए निवेदन किया गया जिसके पश्चात विद्यालय अभिलेख, सेवा अभिलेख, राजस्व अभिलेख, बैंक अभिलेख एवं समस्त प्रकार के राजकीय दस्तावेजों में रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम "अर्जुन" दर्ज किया जाता रहा हैं। बतौर याददाश्त एक बही लिखावट दिनांक 28.05.79 मिति ज्येष्ट सुदी तीज सम्वत 2039 को रेस्पोडेन्ट को दत्तक ग्रहण किये जाने बाबत तत्कालीन उप सरपंच माधोसिंह की कलम तहरीर की गयी। जिस पर दत्तक पिता नारायण मीणा के द्वारा अपनी अंगुश्त निशानी तथा दत्तक गृहिता पिता अर्जुन के द्वारा अपने हस्ताक्षर कर दिये गये व मौजूद परिवार समाज एवं गांव के मौजीज लोगों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। रेस्पोडेन्ट के दत्तक ग्रहिता पिता अर्जुन के देहान्त के पश्चात राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर वारिस अर्जुन विधिवत रूप से दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट के दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड जन आधार कार्ड, सेवा रिकार्ड तथा शैक्षणिक दस्तावेजात इत्यादि में रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम अर्जुन वर्णित किये ... का अपीलान्ट अथवा अन्य किसी ने लगभग 50 साल की लम्बी अवधि के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की। अब जब भूमि की कीमत बढ़ गई हैं तब सम्पति को हड़पने के आशय से यह अपील पेश की गई हैं। न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष एक परिवाद अं0 धारा 135(2) में अपीलान्ट माया देवी की ओर से एक शपथ पत्र दिनांक 28.03.2024 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested

पेश किया गया हैं जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन किया गया हैं कि रेस्पोडेन्ट कैलाश अपने पिता अर्जुन का पुत्र हैं। अपील के पक्षकारगण अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हैं। जिस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि. लागू नही होता हैं। अतः अपील विरूद्व नामान्तरकरण भारी हर्जे के साथ खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात एवं न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अपीलान्ट का यह कथन गलत प्रतीत होता हैं कि ग्राम पंचायत गणेश्वर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.1989 की जानकारी होते ही यह अपील पेश की गई हैं। ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्व दिनांक 25.04.2024 अर्थात लगभग 35 वर्ष बाद यह अपील पेश की गई हैं। 1998 डी0एन0जे0राज0 767 पर यह अवधारित हैं कि "In every suit or application, if limitation is prescribed, the question of limitation is to be considered first, even if the dispute is not raised."

अपीलान्ट द्वारा मियाद के बिन्दु पर जो मियाद अवधि माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं उसमें अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण नही बताया हैं आर0बी0जे0 (14) 2007 एस0सी0 438 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया हैं कि "when there is no satisfactory reason for condoning delay, it can not be condoned." नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग होती हैं जिसमें पक्षकारों के अधिकारो का अन्तिम रूप से निर्धारण नही किया जा सकता हैं। 2003 आर.आर.डी. भाग–I पेज नं. 650 में वर्णित किया हैं कि विरासत के विवाद का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद निर्धारण करके ही किया जा सकता हैं। अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर अपने आपको स्व. अर्जुन की पुत्रियां साबित करने पर ही विरासतन अधिकार प्रदान किया जा सकता हैं, नामान्तरकरण की अपील में नही। इस प्रकार वकील रेस्पोडेन्ट की बहस में उल्लेखित तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता हैं कि नामांतरकरण के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को जानकारी होते हुए यह अपील मियाद बाहर पेश की गई हैं। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:38 IST
Reason: SelfAttested